

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 417/2021
अनवान सरकार जिरिसे तहसीलदार, पाली

बनाम
आदेश

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, पाली (जिला-पाली)
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नंबर 250/2021
राजस्थान सरकार वगैरह

निर्णय दिनांक-20/09/21

(अंतर्गत धारा 136.131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार, पाली के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- आईधिया व भू.अ. निरीक्षक- गुन्दोज की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पाली की अनुशंका के आधार पर तहसील क्षेत्र पाली में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग, राजस्थान निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटাইजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरसीम कार्य में अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में मौजा ग्राम आईधिया तहसील- पाली, जिला- पाली की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं खातेदारान के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तुर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत खसरा विखण्डन

मौजा ग्राम- आईधिया पटवार मण्डल- आईधिया भू.अ.नि.- पाली तहसील-पाली जिला-पाली

| वर्तमान खाते का विवरण | | | | शुद्धि की प्रविष्टि | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|-----------|---|-------------|------------|-----------|---|------------------|
| खाता संख्या | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | खातेदार का विवरण | खाता संख्या | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | खातेदार का विवरण |
| 1 | 200 | 52.03 | मै.मु.वा. | राजस्थान सरकार नदियाँ तथा नालें (चारगाह हेतु) | 200 | 49.18 | मै.मु.वा. | राजस्थान सरकार नदियाँ तथा नालें (चारगाह हेतु) | |
| | 01 | 52.03 | मै.मु.वा. | | 200/6 | 2.05 | मै.मु.वा. | | |
| | | | | | 02 | 52.03 | मै.मु.वा. | | |

नोट- उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरों का 200 व 200/6 में विखण्डन करने के आदेश दिये जाते हैं।
1. नियमानुसार अनवान दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

(देशल दान)
आई.ए.एस.

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, पाली